



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 27 जनवरी, 2021

माघ 7, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4

संख्या 507/77-4-21-38जी०एन०-20

लखनऊ, 27 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-23

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1-सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 19 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 को संशोधित करने की दृष्टि से एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2021

1-(1) यह विनियमावली ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2021 कही जाएगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 में, विनियम 24 में उप विनियम 24.15.1 में, खण्ड (1) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप खण्ड (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:- विनियम 24 का संशोधन

स्तम्भ-1
विद्यमान उप खण्ड

24.15.1

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रस्तावित अधिकतम अनुमन्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात	अधिकतम अनुमन्य भू-आच्छादन (प्रतिशत में)
1	हाई-टेक (टाईप-ए फ्लैटेड इण्डस्ट्रीज)	1	40
2	हाई-टेक (टाईप-बी आई0टी0/आई0टी0ई0 एस0 इण्डस्ट्रीज)	4.25	30
3	जैव-प्रौद्योगिकी (बायो-टेक)	4.25	35
4	अनुसंधान और विकास (आर0 एण्ड डी0)	4.25	35
5	वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग	5.25	40
6	आवासीय-सामूहिक आवास	5.5	35
7	आवासीय-कमजोर आय वर्ग आवास	2	40
8	सेवायें (यूटिलीटिज)	1	50
प्रस्तावित अधिकतम अनुमन्य व्यापक फर्शी क्षेत्रफल अनुपात			2.5
प्रस्तावित अधिकतम अनुमन्य व्यापक भू-आच्छादन क्षेत्र-			25 प्रतिशत

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड

24.15.1

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रस्तावित अधिकतम अनुमन्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात	अधिकतम अनुमन्य भू-आच्छादन (प्रतिशत में)
1	(आई0टी0 सहित) हाई-टेक	2	40
2	हरित/अप्रदूषणकारी उद्योग (बायोटेक एण्ड आर0एन0डी0 सम्मिलित)	2+2.25 क्रय योग्य	35
3	वाणिज्यिक/मिश्रित उपयोग	5.25	40
4	आवासीय-सामूहिक आवास	5.5	35
5	आवासीय-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आवास	2	40
6	सेवायें (यूटिलीटिज)	1	50
प्रस्तावित अधिकतम अनुमन्य व्यापक फर्शी क्षेत्रफल अनुपात			2.5
प्रस्तावित अधिकतम अनुमन्य व्यापक भू-आच्छादन क्षेत्र-			25 प्रतिशत

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 507/LXXVII-4-21-38G.N.-20, Dated January 27, 2021 :

No. 507/LXXVII-4-21-38G.N.-20
Dated Lucknow, January 27, 2021

IN exercise of the powers under section 19 read with sub-section (1) of section 9 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and all other powers enabling it in this behalf and with the previous approval of the State Government, the Greater Noida Industrial Development Authority hereby makes the following regulations with a view to amending the Greater Noida Industrial Development Area Building Regulations, 2010 :-

THE GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING
(FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

1. (1) These regulations shall be called the Greater Noida Industrial Development Area Building (Fifth Amendment) Regulations, 2021. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Greater Noida Industrial Development Area Building Regulations, 2010 in regulation 24, in sub-regulation 24.15.1, in clause 1 for sub clause (iv) set out in Column-1 below, the sub clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely :- Amendment of regulation 24

COLUMN-1
Existing sub-clause

24.15.1

Sl. No.	Land use category	Proposed Max. Permissible FAR	Max. Permissible Ground Coverage (%)
1	Hi-tech (Type A-Flatted Industries)	1	40
2	Hi-tech (Type B-IT/ITES Industries)	4.25	30
3	Bio-Tech	4.25	35
4	R&D	4.25	35
5	Commercial Mixed Use	5.25	40
6	Residential-Group Housing	5.5	35
7	Residential-EWS Housing	2	40
8	Utilities	1	50
Proposed Max. Permissible Global FAR			2.5
Proposed Max. Permissible Global Ground Coverage			25%

COLUMN-2
Sub-clause as hereby substituted

24.15.1

Sl. No.	Land use category	Proposed Max. Permissible FAR	Max. Permissible Ground Coverage (%)
1	Hi Tech incl. IT	2	40
2	Green/non-polluting industries (including Bio Tech and R&D)	2+2.25 Purchasable	35
3	Commercial/ Mixed Use	5.25	40
4	Residential Group Housing	5.5	35
5	Residential EWS Housing	2	40
6	Utilities	1	50
Proposed Max. Permissible Global FAR			2.5
Proposed Max. Permissible Global Ground Coverage			25%

By Order,
ALOK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 679 राजपत्र (हि०)-2021-(1338)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 18 सा० औद्योगिक विकास-20-21-(1339)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।